बहस बच्चों के अधिकार की...

रश्मि पालीवाल

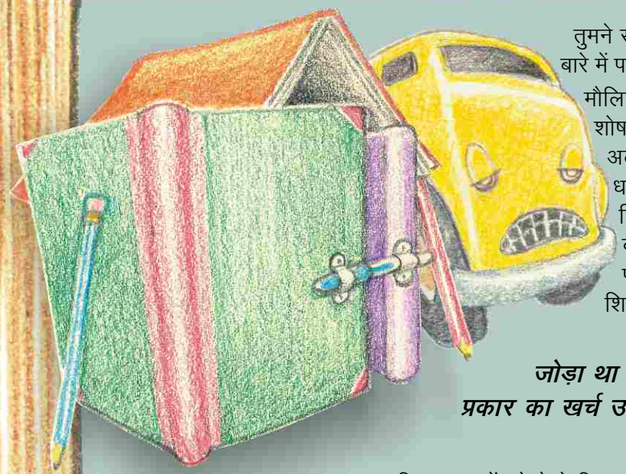

तुमने सामाजिक अध्ययन की किताब में मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा होगा। भारत का संविधान देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है – जैसे स्वातंत्र्य का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता है जो किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को छीनता हो। अगर किसी को भी अपने इन अधिकारों पर कोई खतरा महसूस हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत कर सकता है।

2002 में भारत की संसद ने संविधान में यह जोड़ा था कि 6 से 14 साल के बच्चों को (बिना किसी प्रकार का खर्च उठाए) अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त होगा।

यह अधिकार बच्चों को कैसे मिल सकेगा इसके लिए एक कानून बना जो अगस्त, 09 में जाकर संसद में पास हुआ। यह नया कानून बच्चों को क्या अधिकार देता है? यह कहता है कि 6 से 14 साल के किसी भी बच्चे को अपने घर के आसपास के एक स्कूल में बिना कुछ खर्च किए शिक्षा पाने का अधिकार है। उसे स्कूल में अनिवार्य रूप से प्रवेश मिलेगा। स्कूल वाले उसे यह नहीं कह सकेंगे कि तुम ज़्यादा उम्र के हो गए या तुम्हारा जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है आदि...

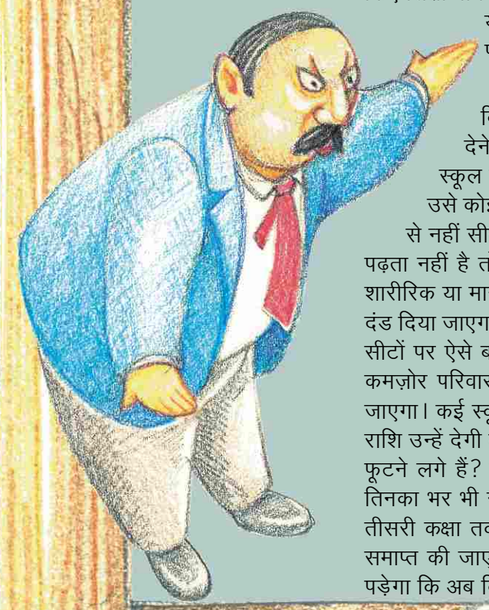

वे यह भी नहीं कहेंगे कि पहले तुम्हारा इन्टरव्यू या टेस्ट लेकर देखना होगा कि तुम स्कूल में दाखिला ले सकते हो या नहीं। वे तुम्हारे माँ-बाप से दाखिला देने के लिए मोटी-ताज़ी केपीटेशन फीस नहीं लेंगे। जैसा अकसर कई प्राइवेट स्कूल किया करते हैं। बच्चा एक बार स्कूल जाने लगे तो आठवीं कक्षा तक पढ़ने से उसे कोई नहीं रोक सकता। उसे यह नहीं कहा जाएगा कि वह इस कक्षा का कोर्स ठीक से नहीं सीख पाया है तो दुबारा उसी में बैठे। उसे यह नहीं कहा जाएगा कि वह ठीक से पढ़ता नहीं है तो उसका नाम स्कूल से काटा जा रहा है। उसे स्कूल में किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक तकलीफ नहीं पहुँचाई जाएगी। ऐसा करने वालों को नियम के अनुसार दंड दिया जाएगा। कानून यह भी कहता है कि सभी प्राइवेट स्कूलों को कम से कम 25 प्रतिशत सीटों पर ऐसे बच्चों को दाखिला देना होगा जो उस स्कूल के आसपास के क्षेत्र के गरीब व कमज़ोर परिवारों से आते हैं। इन बच्चों के खर्च का पैसा सरकार द्वारा स्कूल को दे दिया जाएगा। कई स्कूलों को इस बात से बड़ी परेशानी हो रही है। उन्हें लगता है कि सरकार जो राशि उन्हें देगी वह उनकी ज़रूरत से कम पड़ेगी। यह सब पढ़ते हुए क्या तुम्हारे मन में लड्डू फूटने लगे हैं? ख्यालों में ये सारी बातें कितनी सुहानी लगती हैं पर असलियत में इसका तिनका भर भी नहीं हो पाता। कई बातों के लिए नियम-कानून पहले से ही बने हुए हैं जैसे तीसरी कक्षा तक बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। और पाँचवीं व आठवीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त की जाएगी। ऐसे में यह नया कानून क्या मदद कर सकेगा भला? एक फर्क तो यह पड़ेगा कि अब किसी प्रदेश की सरकार अपना खुद का फैसला लेकर इन परीक्षाओं को वापिस चालू नहीं कर सकती। और दूसरा फर्क यह पड़ेगा कि अगर लोग हिम्मत, समय और पैसा जुटा पाए तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे पर मुकदमे कर सकते हैं कि फलाँ अधिकारी नया फलाँ शिक्षक ने या फलाँ स्कूल ने उनके शिक्षा के मौलिक अधिकार को भंग किया है। शायद इस डर से लोग बच्चों के अधिकारों को ज़्यादा गम्भीरता से लेना शुरू कर दें।

इसके बावजूद क्या तुम्हें नहीं लगता कि ज़्यादा ज़रूरी काम है कि सभी प्रिंसिपलों, अधिकारियों और शिक्षकों को ऐसा प्रशिक्षण मिले ताकि वे अपने दिल से यह मान लें कि बच्चों के अधिकार उन्हें मिलने ही चाहिए?

बच्चों की शिक्षा का मौलिक अधिकार कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। और इस पर देश में कई लोग बड़ी गहरी बहस कर रहे हैं।

एक यह माँग की जा रही है कि शिक्षा का अधिकार 18 साल तक के बच्चों को मिलना चाहिए और जन्म लेते ही शुरू होना चाहिए। क्योंकि, 6 साल की उम्र तक आगे की ज़िन्दगी की नींव बहुत कुछ बन जाती है और 17-18 साल में 12 वीं की पढ़ाई पूरी करे बिना कोई ढंग का काम-धंधा करना मुश्किल होता है। पर, संविधान में यह बात अभी नहीं आई है।

यह माँग भी की जा रही है कि प्राइवेट स्कूलों को फीस लेने से रोक देना चाहिए या उनकी संख्या बहुत कम कर देना चाहिए और सभी बच्चों को एक जैसे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो सब बच्चों को बराबर का अधिकार कैसे काम करते नज़र नहीं आते। अधिकाँश लोग अपने बच्चों को उनमें नहीं भेजना चाहते। तो ज़रूरत इस बात की है कि सरकारी स्कूलों की दिक्कतों को दूर किया जाए। इसके लिए एक और माँग यह है कि हर कक्षा के लिए एक शिक्षक मिलना चाहिए चाहे उसमें कितने भी बच्चे हों। पर, कानून में बस इतना लिखा है कि प्राइमरी स्कूल में यदि 60 तक बच्चे होंगे तो वहाँ दो शिक्षक होना चाहिए। यह माँग भी उठ रही है कि सरकारी शिक्षक को चुनाव करवाने के कामों में कतई नहीं लगाना चाहिए। और इसके लिए चुनाव से सम्बन्धित कानून को बदल देना चाहिए।

ये माँगें मान ली जाएँ जो बहुत फर्क पड़ सकता है। पर यह समझ में नहीं आ रहा कि सरकारी स्कूलों में नेताओं की दखलअंदाज़ी को कैसे रोका जाए? एक छोटे से प्राइवेट स्कूल का मालिक भी अपने स्कूल में किसी बाहर के व्यक्ति की दखलअंदाज़ी स्वीकार नहीं करता ताकि उसका स्कूल ठीक से चले। पर सरकारी व्यवस्था पर कई बड़े लोग अपनी मनमानी करते रहते हैं।

बहस के मुद्दे तो बहुत से हैं, पर क्यों न हम कुछ मुद्दों पर बातचीत की शुरुआत करें? तुम इन सवालों पर क्या सोचते हो? तुम्हारे आसपास और लोग क्या सोचते हैं? क्या कहते हैं? चकमक के इस पन्ने पर हम तुम्हारे विचारों को सबके सामने ले जाएँगे। तो बहस के मुद्दे यह रहे:

- 14 वर्ष की उम्र तक किसी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। सहमत हो या असहमत, क्यों?
- देश के सब बच्चों के लिए एक से कॉमन स्कूल हों जो सरकार द्वारा नियंत्रित हों और जिनमें बच्चों से कोई फीस व खर्च न लिया जाए। सहमत हो या असहमत, क्यों?
- सभी प्राइवेट स्कूलों में कम से कम 25 प्रतिशत सीटें उनके आसपास के गरीब बच्चों के लिए हों, जिनका खर्चा सरकार द्वारा दिया जाए। सहमत हो या असहमत, क्यों?